

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना।
सेवानिवृत्त आरक्षी महानिरीक्षक/आरक्षी उप महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों का 'विशेष कार्य पदाधिकारी' के पद पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2804 दिनांक-29.03.2010 एवं 10000 दिनांक-10.07.2015 के आलोक में Excise Intelligence Bureau के कार्यों को सुदृढ़ करने एवं नई उत्पाद नीति 2015 के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक परामर्श हेतु E.I.B. में विशेष कार्य पदाधिकारी के एक पद पर सेवानिवृत्त आरक्षी महानिरीक्षक/आरक्षी उप महानिरीक्षक (भारतीय पुलिस सेवा) के पदाधिकारी की संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में इच्छुक एवं सेवानिवृत्त आरक्षी महानिरीक्षक/आरक्षी उप महानिरीक्षक (भा0पु0से0) निम्नांकित शर्तों के अधीन दिनांक-12.05.2016 के 5:00 बजे अपराह्न तक आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना के नाम से विहित प्रपत्र में आवेदन भेज सकते हैं:-

1. राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के आरक्षी महानिरीक्षक/आरक्षी उप महानिरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए हो।
2. उनकी अधिकतम आयु सीमा आवेदन करने की तिथि को 64 वर्ष होगी।
3. संविदा अवधि प्रथम चरण के लिए एक वर्ष की होगी, जिसे एक वर्ष के पश्चात् आवश्यकता एवं सेवा संतोषजनक होने के आधार पर पुनः अनबंधित किया जाएगा।
4. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-10000 दिनांक-10.07.2015 के आलोक में मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
5. चयन का आधार:- विभागीय चयन समिति द्वारा Walk-in-Interview के आधार पर चयन किया जायेगा। चयन करते समय यदि अधिक संख्या में आवेदन आते हैं तो अपेक्षाकृत कम उम्र वाले योग्य पदाधिकारी को वरीयता दी जायेगी।
6. आवेदन भरने की प्रक्रिया:- आवेदन का प्रपत्र निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना के वेबसाइट- www.excise.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है। आवेदन निबंधित डाक के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशन के बाद निर्धारित तिथि तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त कराना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ पी0पी0ओ0/सेवा इतिहास (Bio-data) संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
7. नियोजन के समय स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र देना आवश्यक होगा। साथ ही इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि "मेरे विरुद्ध कोई निगरानी/आपराधिक मामला किसी न्यायालय में दर्ज नहीं है और सरकार के द्वारा कोई विभागीय कार्यवाही नहीं चल रही है।"
8. विभागीय चयन समिति, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताए चयन प्रक्रिया को किसी भी समय रद्द कर सकता है।

सरकार के विशेष सचिव,
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
बिहार, पटना।

निबंधन,उत्पाद एवं मद्य निषध विभाग, बिहार, पटना।

विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर संविदा आधारित नियोजन हेतु आवेदन प्रपत्र

आवेदित पद का नाम :-.....

1. आवेदक का नाम (अंग्रेजी में) :-

आवेदक का नाम (हिन्दी में) :-

2. पिता/ पति का नाम :-

3. जन्म तिथि :-

4. लिंग :-

5. आरक्षण कोटि :-

6. शैक्षणिक योग्यता :-

7. कार्य अनुभव :-

8. पत्राचार का पता :-

9. स्थायी पता :-

10. फोन नं०/मोबाईल नं० :-

11. ई-मेल :-

12. सेवा संवर्ग :-

13. सेवानिवृत्ति की तिथि :-

14. कार्यालय/विभाग का नाम, जहां से सेवानिवृत्त हुए हैं :-

15. सेवा निवृत्ति के समय धारित पद :-

16. सेवा पेंशन प्रदायी है अथवा नहीं :-

17. पी० पी० ओ० सं० :-

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई निगरानी मामला/विभागीय कार्यवाही/ विचाराधीन गंभीर आरोप/ आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक का हस्ताक्षर

हाल का रंगीन
स्वअभिप्रमाणित
फोटो

निःशक्त :- हाँ/नहीं